भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2889

जिसका उत्तर 08.08.2024 को दिया जाना है

वाहन स्क्रैपेज नीति, 2021

2889. श्री गुरमीत सिंह मीत:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाहन स्क्रैपेज नीति, 2021 के कारण कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) नए वाहन अपनाने में वाहन मालिकों को सरकार द्वारा दिए गए विशिष्ट प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्क्रैप किए गए वाहनों के निपटान से होने वाले प्रदूषण को रोकने और नए वाहनों के निर्माण में संसाधनों की खपत और ऊर्जा के उपयोग को संतुलित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) स्क्रैपिंग केन्द्रों के लिए नियोजित अवसंरचना विकास और विनियामक अनुपालन को समान रूप से लागू करने वाले तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ड.) सेकेंड हैंड वाहन बाजार पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने और अनौपचारिक क्षेत्र के प्रभावित कामगारों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) उक्त नीति की प्रभावकारिता की निगरानी करने और इसे देश के दीर्घकालिक पर्यावरणीय और आर्थिक उद्देश्यों के साथ समन्वित करने के लिए क्या तंत्र विद्यमान हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) (i) सड□□क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन मालिकों को पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी (जीवन समाप्ति वाहन) वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत 'जमा प्रमाणपत्र' के एवज में खरीदे गए गैर-परिवहन वाहनों के मामले में मोटर वाहन कर में 25% तक और परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक की छूट प्रदान करने के लिए सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 5 अक्टूबर 2021 जारी किया है।

(ii) सा.का.नि. 714(अ), दिनांक 04.10.2021 में प्रावधान है कि यदि वाहन 'जमा प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने के एवज में पंजीकृत है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

(ग) और (घ) (i) सा.का.नि. 653 (अ), दिनांक 23.09.2021 (समय-समय पर यथासंशोधित) के माध्यम से जारी किए गए मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) स्थापित करने के नियम का प्रावधान है।

(ii) उपर्युक्त उल्लिखित नियमावली के नियम 10 के उप-नियम (xix) में प्रावधान है कि आरवीएसएफ यह सुनिश्चित करेगा कि स्क्रैप किए गए वाहन के हानिकारक कलपुर्जों को हटाने या उनका पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) या निपटान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों का पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन और एआईएस-129 के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाए।

(iii) इन नियमों के नियम 14 के अनुसार पंजीकृत स्क्रैपर को केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत विनिर्दिष्ट किसी भी एजेंसी से वार्षिक विनियामक और अनुपालन ऑडिट और आरवीएसएफ के द्रव्यमान प्रवाह के विवरण का ऑडिट कराना आवश्यक है।

(iv) सीपीसीबी ने मार्च, 2023 में एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों के निपटान और स्क्रैपिंग के लिए पर्यावरण अनुकूल बेहतर सुविधा केंद्रों के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं।

(v) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने का.आ.367 (अ), दिनांक 30.01.2024 के माध्यम से एंड-ऑफ-लाइफ वाहन (प्रबंधन) नियमावली, 2024 अधिसूचित की है। इन नियमों में विस्तारित विनिर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) की रूपरेखा का प्रावधान किया गया है, जिसमें वाहनों के विनिर्माता (आयातकों सहित) आरवीएसएफ में एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों को स्क्रैप करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(ड.) और (च) वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य वैज्ञानिक स्क्रैपिंग प्रक्रिया के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल तरीके से पुराने और अनुपयुक्त वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। सा.का.नि. 653(अ) (समय-समय पर यथासंशोधित) के तहत जारी अधिसूचना में असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक स्क्रैपिंग पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकृत करने का प्रावधान है। अब तक स्थापित 62 आरवीएसएफ में से 22 पूर्व अनौपचारिक स्क्रैपर्स द्वारा स्थापित किए गए हैं।

*****